



मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड

ब्लॉक नं.-9, शक्ति भवन, रामपुर, जबलपुर - 482 008

फोन- 0761-2702615

फैक्स- 0761-2665805

ई-मेल - mppgcl@mp.nic.in

सिन-U40109MP2001SGC014882

वेबसाईट-<http://mppgenco.nic.in>

क्रमांक का.नि.(मा.सं.एवं प्र.)/मप्रपाजकंलि/स्था./2508 जबलपुर, दिनांक 30.05.2015

आदेश

मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (मण्डल तथा उत्तराधिकारी इकाइयों के कार्मिकों को पेंशन तथा सेवान्त प्रसुविधा दायित्वों की स्वीकृति हेतु निबंधन तथा शर्तों) विनियम, 2012 (जी-38, वर्ष 2012) मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशित दिनांक 20.04.2012 में वर्णित पेंशन तथा अन्य सेवान्त प्रसुविधाओं का निधियन की कंडिका-03 एवं कंडिका-04 के परिपालन में, दिनांक 01.06.2005 के पश्चात् सेवानिवृत्त कार्मिकों/दिवंगत कार्मिकों के आश्रितों, को पेंशन/परिवार पेंशन का दायित्व संबंधित उत्तरावर्ती कंपनी का है ।

02/ म.प्र.पाँ.ज.कं.लि. के आदेश क्रमांक का.नि.(मा.सं.एवं प्र.)/मप्रपाजकंलि/स्था./4762-63 दिनांक 10.12.2014 एवं सहपठित आदेश क्रमांक का.नि.(मा.सं.एवं प्र.)/मप्रपाजकंलि/स्था./1157-58 दिनांक 05-03-2015 के अनुसार म.प्र.पाँ.ज.कं.लि. के सभी पेंशनरों/परिवार पेंशनरों को देय पेंशन एवं 80 वर्ष अथवा उससे अधिक आयु के पेंशनरों को देय अतिरिक्त पेंशन पर दिनांक 01-07-2014 से 107 प्रतिशत की दर से मेंहगाई राहत स्वीकृत की गई थी ।

03/ मध्यप्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड के निर्णयानुसार, कंपनी से दिनांक 01.06.2005 के पश्चात् सेवानिवृत्त कार्मिकों/दिवंगत कार्मिकों के आश्रितों को देय पेंशन/परिवार पेंशन पर अग्रिम आदेश तक निम्नानुसार मेंहगाई राहत देय होगी-


अवधि जब से देय है	मेंहगाई राहत की दर प्रतिमाह
दिनांक 01.01.2015	पेंशन/परिवार पेंशन का 113% (एक सौ तेरह प्रतिशत)

04/ मेंहगाई राहत के भुगतान पर होने वाले रुपये के अपूर्ण भाग को अगले रुपये में पूर्णांकित किया जावेगा ।

05/ पेंशन पर देय राहत की गणना मूल पेंशन अर्थात् सारांशीकरण के पूर्व (Before Commutation) की पेंशन पर होगी ।

06/ इस आदेश के अंतर्गत बढ़ी हुई मेंहगाई राहत का भुगतान माह मई-2015 की पेंशन के साथ नगद किया जावेगा एवं अंतर (एरियर) राशि का भुगतान तीन समान किश्तों में माह मई-2015, जून-2015 एवं जुलाई-2015 की पेंशन के साथ नगद किया जावेगा ।

आदेशानुसार,


(ए.क. अवस्थी)

कार्यपालक निदेशक(मा.संसा. एवं प्रशा.)
म.प्र.पाँ.जन.कं.लि., जबलपुर

क्रमांक का.नि.(मा.सं.एवं प्र.)/मप्रपाजकंलि/स्था./2509 जबलपुर, दिनांक 30.05.2015
प्रतिलिपि :-

1. कार्यपालक निदेशक/मुख्य अभियंता (संचा.संधा.-उत्पा)/ (सिविल अभियांत्रिकी)/ (ईंधन प्रबंधन)/ (अभियांत्रिकी)/ (सामग्री प्रबंधन)/ (परि.-उत्पा.)/ (संचा.संधा.-जलविद्युत)/ (नवीनी.एवं आधुनिकी.), म.प्र.पॉ.जन.कं.लि., जबलपुर ।
2. कार्यपालक निदेशक (मा.संसा.एवं प्रशा.), म.प्र.पूर्व क्षेत्र वि.वि.कं.लि., जबलपुर ।
3. मुख्य अभियंता (उत्पादन), अताविग/संगांताविगृ/सताविगृ/श्री सिंगाजी ताविपरि., म.प्र.पॉ.जन.कं.लि., चचाई/बिरसिंहपुर/सारनी/खण्डवा ।
4. मुख्य महाप्रबंधक (मानव संसाधन), म.प्र.पॉ.मैने.कं.लि/म.प्र.मध्य क्षेत्र वि.वि.कं.लि./म.प्र.पश्चिम क्षेत्र वि.वि.कं.लि. जबलपुर/भोपाल/इन्दौर ।
5. मुख्य अभियंता (कापोरेट अफेयर्स), म.प्र.पॉ.ट्रांस.कं.लि., जबलपुर ।
6. मुख्य वित्तीय अधिकारी, म.प्र.पॉ.ज.कं.लि., जबलपुर ।
7. मुख्य सुरक्षा अधिकारी, म.प्र.पॉ.ज.कं.लि., जबलपुर ।
8. अति.मुख्य अभि. (उत्पा.-भंडार)/ (सी.एस.)/ (टीएचसी), म.प्र.पॉ.ज.कं.लि., जबलपुर/सिरमौर ।
9. अति.महाप्रबंधक (मानव संसाधन), छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत होल्डिंग कंपनी मर्या., रायपुर ।
10. कार्यपालक सहायक सम्बद्ध अध्यक्ष, म.प्र.पॉ.जन.कं.लि., भोपाल ।
11. अधीक्षण अभियंता (उत्पादन)/ (संचा.संधा.), राअबासा/पेंच/राजघाट/गांधी सागर/बाण सागर-दो/तीन/चार/मड़ीखेड़ा जविगृ, म.प्र.पॉ.ज.कं.लि., बरगी नगर/तोतलाडोह/चंदेरी /गांधी सागर/सिलपरा/देवलौंद/झिन्ना/शिवपुरी ।
12. अधीक्षण अभियंता (सिविल) सर्वे. एवं अन्वे., म.प्र.पॉ.जन.कं.लि., जबलपुर ।
13. वरिष्ठ/क्षेत्रीय लेखाधिकारी (सीओजी एण्ड एचएस)/अताविगृ/संगांताविगृ/सताविगृ/श्रीसिंगाजी ताविपरि./टोंस जविगृ, म.प्र.पॉ.ज.कं.लि., जबलपुर/चचाई/बिरसिंहपुर/सारनी/खण्डवा/सिरमौर ।
14. आदेश नस्ती ।
15. निज सचिव/निज सहायक-संबद्ध प्रबंध संचालक/संचालक (तकनीकी)/(वाणिज्य), म.प्र.पा.ज.कं.लि., जबलपुर ।
16. पेंशन शाखा, कार्या.-कार्य.निदे.(मा.संसा.एवं प्रशा.), म.प्र.पॉ.ज.कं.लि., जबलपुर ।
-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।



(पी.के.चतुर्वेदी)

संयुक्त सचिव

कार्या.-कार्य.निदे.(मा.संसा. एवं प्रशा.)
म.प्र.पॉ.ज.कं.लि., जबलपुर